



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव  
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब निर्माण संभाग, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, कोरबा द्वारा सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत 132 के. व्ही विश्रामपुर से कौशलपुर (रामानुजनगर) विद्युत पारेषण लाईन निर्माण हेतु 4.253 हे. राजस्व वन भूमि एवं 0.687 हे. संरक्षित वन भूमि; कुल 4.940 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अंतर्गत व्यपर्वतन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: /09/2018

स्थान: रायपुर

(आर. के. सिंह)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
छत्तीसगढ़  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
छत्तीसगढ़, रायपुर